राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांक :–प.4(4)गृह–10/2016 जयपुर, दिनांकः 10.08.2016

आदेश

राज्य सरकार व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कार्यालय समय व कुछ सार्वजनिक अवकाशों मे भिन्नता होने के कारण अभियोजन अधिकारियों द्वारा अपनाये जाने वाले कार्यालय समय व सार्वजनिक अवकाशों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिया जाना आवश्यक है।

अतः पूर्व के जारी किये गये गृह (ग्रुप–10) विभाग के आदेश क्रमांक प. 28(26)गृह–10/78 दिनांक 31.07.1978 तथा अभियोजन निदेशालय के आदेश क्रमांक स. 3(16) (11) विविध/अभि/99/2561–610 दिनांक 10.02.2003 को निरस्त करते हुए निर्देश प्रदान किये जाते है कि अभियोजन सेवा के अधिकारी और कर्मचारी जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में अभियोजन कार्य हेतु पदस्थापित है, वे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिविल न्यायालयों के कलैण्डर के अनुरूप कार्यालय समय का पालन करेंगे और सार्वजनिक अवकाशों का उपभोग करेंगे। परन्तु जिन कार्यालयों का रिकार्ड व प्रशासनिक कार्य पूर्ण नहीं है वे शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे। ऐसे अभियोजन/सहायक अभियोजन अधिकारी, मंत्रालयिक/सहायक कर्मचारी जो, कार्यपालक दण्डनायको के न्यायालय में अभियोजन कार्य हेतु नियुक्त है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समय का पालन करेंगे व राज्य सरकार के कलैण्डर में निर्धारित सार्वजनिक अवकाशों का उपभोग करेंगे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अवकाश के दिन किसी न्यायालय की बैठक निश्चित होने पर उस न्यायालय में पैरवी कार्य हेतु सम्बधिंत सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर से अभियोजन सेवा के अधिकारी व कर्मचारी को आदेशित करेगें।

10.8.16

(राजेन्द्र सिंह चौधरी)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक माननीय गृह मंत्री महोदय, राज.सरकार।
2. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव गृह विभाग।
4. निजी सचिव विशिष्ठ शासन सचिव गृह विभाग।
5. निजी सचिव निदेशक अभियोजन विभाग।
6. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश अभियोजन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करावें।
7. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ अभियोजन अधिकारीयों/कर्मचारीयों को उपलब्ध करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

10.8.16

विशिष्ठ शासन सचिव, गृह (विधि)